290

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण कमांक :- 2034/दो/2006

निगरानीकर्ता/आवेदक :- दशोदीबाई ठाकुर

विरूद्ध

गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक :- दुर्गावती डोंगरे

आवेदक :- 1. राम बाई पत्नि स्व. श्री अमोल सिंह, उम्र लगभग 65 वर्ष,

2. अमरीक सिंह पिता स्व. श्री अमोल सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष,

3. भूपेन्द्र सिंह पिता स्व. श्री अमोल सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष,

4. संयोगिता सिंह पिता स्व. श्री अमोल सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष

सभी निवासी-ग्राम बिछिया, तह. व जिला मण्डला (म.प्र.)

आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण पुर्नस्थापित किये जाने बाबत्

आवेदकगण माननीय न्यायालय से निम्नलिखित निवेदन करते है कि :-

1. यह कि, आवेदक कं. 1 की सास एवं आवेदक कं. 2 से 4 की दादी स्व. दशोदीबाई ठाकुर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी वर्ष 2006 में प्रस्तुत की गई थी । जिसे माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 2034/दो/2006, के रूप में दर्ज किया गया था, किन्तु लगभग 2-3 वर्ष बीमार रहने के कारण दिनांक 24.06.2012 को स्व. श्री दशोदीबाई स्वर्गवास हो चुका है ।

2 यह कि, आवेदकगण को माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण की जानकारी नहीं होने के कारण नियत समयावधि में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके, दिनांक 23.11.2015 को अनुविभागीय अधिकारी

M 130-E/16 [illegible]

31.8.17

निवेदक की ओर से मेमो एवं ओम कुमारी का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर श्री सुनील सिंह आदेश को रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विपक्षगण पुकारा रेस्टोर किया जाता है मुकदमा मिसलाती पुनः नम्बर पर लिया जाता है यह प्रकार इसी स्तर पर कायम किया जाता है

[illegible]

[illegible] 31/8/17 [illegible]